मानव अंगों व अंशों का दान

मानव अंगों एवं अंशों का संबंध जहां शरअी आदेशों से है वहीं आधुनिक तिब्बी सुविधाओं एवं शोध से भी है। इस दिशा में आए दिन नयी नयी तहक़ीक़ात सामने आ रही हैं इस लिए इसी हिसाब से शरअी आदेश भी आते रहेंगे। इस समय तक की जो आधुनिक तिब्बी तहक़ीक़ात सामने आयी हैं उनको सामने रखते हुए निम्न प्रस्ताव सेमिनार ने तै किए हैं:

1- ख़ून मानव शरीर का एक महत्व पूर्ण और मौलिक अंश है जिससे मानव जीवन का वजूद जुडा हुआ है, यदि किसी इन्सान को ख़ून की ज़रूरत पड जाए और माहिर डाक्टर की राय हो कि इसके लिए ख़ून अत्यन्त आवश्यक है तो इन्सानी जान बचाने के लिए एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान या ग़ैर मुस्लिम को ख़ून का दान करना जायज़ है। इसी तरह किसी मुसलमान के लिए उससे लेना भी जायज़ है।

2- ऐसे ब्लड बैंक जहां लोग रज़ाकाराना तौर पर ख़ून दान करते हैं और वे बैंक ज़रूरत मन्दों को मुफ़्त ख़ून उपलब्ध करते हैं वहां मुसलमान के लिए ख़ून दान करना जायज़ है।

3- रज़ाकाराना ब्लड कैम्प लगाना और ब्लड बैंक स्थापित करना भी मानव ज़रूरत को देखते हुए जायज़ है और यह मानव सेवा में शामिल है।

4- ऐसे नाज़ुक अवसर पर जहां ख़ून दान न देने की सूरत में जान का ख़तरा है वहां अपेक्षित ग्रूप वाले मौजूद व्यक्ति के लिए अपना ख़ून दान करना एक अहम मानव कर्तव्य और शरअी तौर पर पसन्दीदा अमल है।

5- वर्त्तमान तिब्बी तहक़ीक़ के अनुसार जीवित व्यक्ति के जिगर के कुछ हिस्से को दूसरे ज़रूरत मन्द इन्सान को परिवर्तित करना संभव हो गया है और दान करने वाले के जिगर के शेष बचे हुए हिस्से का कुछ महीनों में पूर्ण हो जाना अनुभव में आ चुका है इस लिए जिगर का स्थानातरण और पेबन्दकारी अपने रिश्तेदार या दोस्त के लिए रज़ा काराना तौर पर जायज़ है अलबत्ता इन अंगों व अंशों का क्रय विक्रय पूरी तरह हराम है अर्थात जायज़ नहीं है।

6- इन्सानी दूध का बैंक स्थापित करना जायज़ नहीं। यदि बैंक स्थापित हो तो उसमें दध जमा करना और उनमें किसी प्रकार का सहयोग करना भी जायज़ नहीं है।

7- मर्द या औरत के वीर्य का बैंक स्थापित करना या किसी मर्द या औरत का किसी बैंक को या किसी ज़रूरत मन्द को वीर्य बेचना या बिना क़ीमत उपलब्ध करना या लेना हराम है।

8- जीवित व्यक्ति की आंख का कोर्निया दूसरे ज़रूरत मन्दों के लिए स्थानांतरण क़रना जायज़ नहीं है अलबत्ता मुर्दा का कोर्निया किसी ज़रूरत मन्द के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं इस सिलसिले में फ़ैसला को टाला जाता है।

नोट: 24 वां फ़िक़्ही सेमिनार (ओचीरा, केरल) दिनांक 9-11 जमादिल ऊला 1436 हि0 - 1-3 मार्च 2015 ई0